न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सज्जनगढ जिला–बांसवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारी दीनानाथ बब्बल (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.25 / 2017

वाद अन्तर्गत धारा 88,53,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. श्री हालु पुत्र भगला भील निवासी बिलडी तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राज.)
2. श्री वालु पुत्र भगला भील निवासी बिलडी तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राज.)
3. श्री डुंगरीयां पुत्र थावरा भील निवासी बिलडी तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राज.)
4. श्री जीतु पुत्र थावरा भील निवासी बिलडी तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राज.)
5. श्री मोहन पुत्र थावरा भील निवासी बिलडी तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राज.)
6. श्री नाथु पुत्र दिता भील निवासी बिलडी तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राज.)
7. श्री हकरू पुत्र कालियां भील निवासी बिलडी तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राज.)
8. श्री वजीया पुत्र कालियां भील निवासी बिलडी तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राज.)
9. श्री बदीयां पुत्र कालियां भील निवासी बिलडी तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राज.)
10. श्री वेलजी पुत्र कालियां भील निवासी बिलडी तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राज.)

.वादीगण.....

विरूद्व

1. श्री हलीयां पुत्र पुना भील निवासी बिलडी तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राज.)
2. श्री गलियां पुत्र पुना भील निवासी बिलडी तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राज.)
3. श्री हुरतिंग पुत्र पुना भील निवासी बिलडी तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राज.)
4. श्री कालु पुत्र चतरा भील निवासी बिलडी तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राज.)
5. श्री मडसियां पुत्र चतरा भील निवासी बिलडी तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राज.)
6. श्री कान्ति पुत्र चतरा भील निवासी बिलडी तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राज.)
7. श्री वेलां पुत्र लालू भील निवासी बिलडी तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राज.)
8. श्री हातुडी पुत्र लालु भील निवासी बिलडी तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राज.)
9. श्री भूमिधारी राजस्थान सरकार जरियें राजस्व प्रतिनिधि तहसीलदार सज्जनगढ ।
10. श्रीमान जिला कलेक्टर बांसवाडा प्रतिनिधि राजस्थान सरकार ।
11. श्री मेनेजर आईसीआईसीआई बैक शाखा छींच जिला बांसवाडा ।
12. श्री मेनेजर आईसीआईसीआई बैक शाखा टाण्डा रतना जिला बांसवाडा ।
13. श्री मेनेजर आईसीआईसीआई बैक शाखा नोगामा जिला बांसवाडा ।
14. श्री मेनेजर बैंक आफ बडोदा शाखा हेजामाल जिला बांसवाडा ।

प्रतिवादीगण .....

निर्णय

दिनांकः-23.07.2019

वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैः—

1. यह कि ग्राम बिलडी में कृर्षि भूमि खेत सर्वे नंबरान कमशः 900,197,198,203,207,209,242,243,245,244 कुल 10 खेंत रकबा कमशः 5.10,0.08,6.11,0.02,0.03,0.02,4.06,1.16.,0.08,3.04,कुल रकबा 22 बिघा 10 विस्वा लगान कुल 17.19 रूपया वादी व प्रतिवादीगण के पैत्रक है । एवं वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज स्व0 भगला पुत्र जोरजी के खाते के है।

2. यह कि इसी प्रकार से ग्राम बालासिंन्दुर के कृर्षि भूमि खेत सर्वे नंबरान 69,95,112,325/112 कुल खेत 3 रकबा कमशः 2.17,12.05,14.15,3.00 कुल 32 बिघा 17 बिस्वा वादी व प्रतिवादीगण के पैत्रक है । एवं वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज स्व.भगला पुत्र जोरजी के खाते के है ।

.3.यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण की वंशावली निम्न प्रकार से है :—

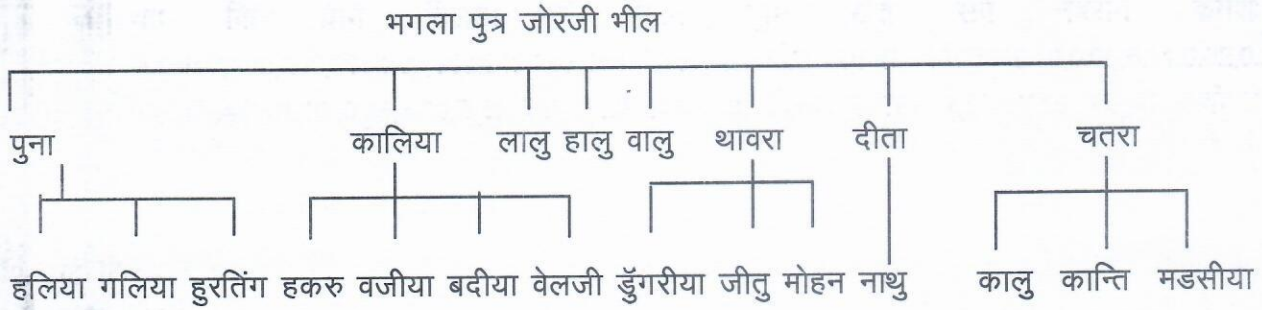

4. यह कि उक्त दोनो गांव बिलडी व बालासिन्दुर की उपरवर्णित कृर्षि भूमियां मूल खातेदार भगला पुत्र जोरजी भील के खाते की होकर उक्त वंशावली के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण स्व. भगला पुत्र जोरजी भील के वारसान व उतराधिकारी है । स्व. भगला के कुल 8 पुत्र कमशः स्व. पुना, स्व.कालियां, स्व.लालु ,स्व.थावरा,स्व.दीता,.व स्व.चतरा तथा वादीगण स. 1 हालु व वालु है। भगला के 6 पुत्रों पुना,कालियां, लालु,थावरा, दीता, चतरा, की मृत्यु हो चुकी है । जिसमें पुना के वारसान प्रतिवादी सं. 1 से 3 हलीयां, गलियां व हुरतींग है । चतरा के वारसान प्रतिवादी सं. 4 से 6 कालु कान्ति मडसियां है । लालु के वारसान प्रतिवादी सं. 7 व 8 वेला व श्रीमति हातुडी है । कालियां के वारसान वादी सं. 7 से 10 हकरू वजीयां, वेलजी है । थावरा के वारसान वादीगण सं. 3 से 5 डुंगरीयां जीतु मोहन है । दीता के वारीसान में नाथु वादी सं. 6 है ।

5.यह कि उपरवर्णित वंशावली के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी स्व. भगला पुत्र जोरजी भील की गांव बिलडी व बालासिन्दुर दोनो गांवो की कृर्षि भूमि के वारसान होकर मालिक है । तथा कुल आठ हिस्सेदार है । जिसमें वादी कमांक 1 हालु 1/8, प्रतिवादी कमांक 1 से 3 हलीया , गलीया, व हुरतिंग 1/8 , प्रतिवादी कमांक 4 से 6 कालु कान्ति मडसियां 1/8, प्रतिवादी कमांक 7 व 8 वेला व श्रीमति हातुडी 1/8 ,वादी कमांक :— 7 से 10 हकरू वजीयां ,बदीया,वेंलजी 1/8 हिस्से के मालिक होकर मोके पर वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1

से 8 अपने अपने हिस्सो पर मोखीक बाहमी बटवारा कर काबीज होकर काश्त करते है । व उनका जायज वारसाना हक व अधिकार है । लेकिन उक्त गांव बिलडी के खाते की भूमि मे मूल खातेदार भगला के मरने पर वारसाना के नामान्तरण स.22 में व गांव बालासिन्दुर मे भी मूल खातेदार भगला के मरने पर वारसाना नामान्तरण सं. 3 दर्ज करते समय स्व. भगला के वारिसान सभी 8 पुत्रों का नाम दर्ज नही करते ग्राम बालासिन्दुर मे केवल पुना, चतरा,लालु, वालु के नाम से व बीलडी में पुना दीता, चतरा, लालु,हालु थावरा के नाम से नामान्तरण दर्ज किया गया । दोनो खातों मे उपरवर्णित समस्त वारिसान के नाम से खाता दर्ज नही करते विरासत के दोनो प्रथम नामान्तरण एक तरफा में बिना वारिसान की पूरी जांच किये बिना मोका व कब्जा तस्दीक किये गये है । ग्राम बिलडी में वालु व कालिया का नाम व ग्राम बालासिन्दुर में हालु दीता, थावरा,लालु,चतरा व पुना के मरने पर उनके वारीसान के नाम सें खाता अलग नामान्तरण के जरीयें दर्ज कर दिया । जिनकी प्रमाणित प्रतियां वाद के संलग्न है । उक्त वारिसान सभी नामान्तरकरण वादीगण व प्रतिवादीगण के कानुनी हक अधिकार व हिस्से के मुकाबले आरम्भी से ही गैर कानूनी अकृत व शुन्य है । बाद के भी किसी भी विरासत नामान्तरण मे वादीगण व प्रतिवादीगण जो उक्त वंशावली के अनुसार हकदार व हिस्सेदार है उनके सही तौर पर नामान्तरण नही किये गये , उन्हे सह खातेदार दर्ज नही किये गये । जिससे प्रतिवादीगण 1 से 8 की नीयत में बदलाव आने से वे वादीगण को कहते है कि वे उन्हे उनका हिस्सा नही देंगे । उनका हक मानने व वारसाना नाम दर्ज कराने व कानुनी तोर पर खाते का विभाजन कराने से आना कानी बहाने बाजी व झगडा फसाद विगत 1 माह से कर रहे है। जिससे वादीगण को उक्त वाद पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही है । वादग्रस्त खाता ग्राम बिलडी मे सर्वे नंबर 246 का बेचान होने से उसके बाबत वाद पेश नही है ।

6. यह कि खाता शामलाती होने से प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण से झगडा करते है व कहते है किवे वादीगण को उनका हक हिस्सा नही देगे काश्त करने नही देगे । तथा भविष्य मे वादीगण को काश्त भी नही करने देगे । प्रतिवादीगण उनके नियत हिस्से से भी अधिकाधिक भूमि हडपने के गरज से हर वक्त हिस्से पांती का विवाद करते रहते है । व वादीगण को धमकियां देते रहते है । खाता शामलाती होने से वादीगण अपने हक हिस्से का स्वतन्त्र उपयोग व विकास भी नही कर पाते है । अतः विभाजन भी आवश्यक है । जिससे वाद घोषणा सह खातेदारी व विभाजन व निषेधाज्ञा आदि का प्रतिवादीगण के विरूद्व पेश है ।

खाते में ग्राम बालासिन्दुर की में प्रतिवादीगण वेंला व हातुडी ,हुरतींग का हिस्सा प्रतिवादी सं. 11 आईसीआईसीआइ बैक शाखा छींच को , हलीया का हिस्सा प्रतिवादी सं. 13 आईसीआईसीआइ बैक शाखा नौगामा को ग्राम बिलडी भूमि में वादी हालू का हिस्सा व प्रतिवादी कालु कान्ति का हिस्सा प्रतिवादी सं. 12 आईसीआईसीआइ बैक शाखा टाण्डा रतना को रहन किया हुआ है । जो रहन बाद विभाजन उनके हिस्सों मे दी जाने वाली भूमि के बाबत यथावत रखा जाने की भी प्रार्थना है ।

7.यह कि वाद का व्यवहार कारण चरण सं. 1 व 2 मे दर्ज खाते की भूमियां पैत्रक व शामलाती होकर वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम वारसाना नामान्तरण में नियमानुसार दर्ज नही होकर मूल खातेदार वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वज भगला के मरने पर दोनों खातों में कमशः ग्राम बालासिन्दुर में केवल पुना, चतरा, लालु, वालु के नाम से व बिलडी में पुना , दीता,चतरा, लालु,

हालु, थावरा ही वारीसान के नाम खाता दर्ज करने देने व बाकी वारीसान का नाम उपरवर्णित वाद पेरा नम्बर 05 के अनुसार छोड देने से प्रतिवादीगण 1 से 8 की नियत में बदलाव आने से दो माह पूर्व से प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को धमकी दी कि वे वादीगण को उनका हिस्सा नही देगे , काश्त नही करने देंगे । हर वक्त वादीगण से झगडा करने व धमकी देने आदि कारणों से दिनांक 07.03.2017 से हर रोज उत्पन्न हो रहा है ।

8.यहकि वादीगण की प्रार्थना है कि वादग्रस्त दोनो गांव बालासिन्दुर व बिलडी के खातों में वाद वर्णित वंशावली व दर्ज हिस्से के अनुसार वादी व प्रतिवावादी को सह खातेदार घोषित किया जाकर, ग्राम बिलडी में वादी वालु व वादी सं. 7 से 10 हकरू वजीया, बदीया, वेलजी को अन्य वादी व प्रतिवादीगण के साथ पेरा नं. 5 में वर्णित हिस्सों के अनुसार सह खातेदार घोषित किया जावे ।दोनेा गांवो के खातो का हिस्से में रेकार्ड के अनुसार व मोके पर अच्छी बुरी हर भूमि का समान विभाजन किये जाने का आदेश प्रदान किया जाकर विभाजन प्राथमिक व अंतिम डिक्री प्रदान करना फरमावे । बैक का रहन विभाजन में प्रदान की जाने वाली हिस्सा भूमि के अनुसार यथावत रखा जावे । विभाजन के अनुसार खाते राजस्व रेकार्ड में अलग अलग दर्ज किये जानें का आदेश प्रदान किया जावे । अन्य कोई कानूनी सहायता जो वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्व प्राप्त करने के हकदार माने जावे वह भी वादीगण को धारा 209 रा.का.अ. के तहत प्रदान करना फरमावें । उपरोक्तानुसार वाद निर्णय फरमावें ।

बाद जांच प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया । प्रतिवादीगण ने जरियें अधिवक्ता उपस्थित होकर निम्न प्रकार जवाब पेश किया :–

1. यह कि, वाद पत्र की चरण संख्या–2 आंशिक रूप से स्वीकार होकर वाद चरण संख्या 01,व चरण संख्या 02 आंशिक रूप से स्वीकार होकर वाद चरण संख्या 1,2 में बताई गई ग्राम बिलडी व बालासिंन्दुर स्थित कृर्षि भूमि पैतृक कृर्षि भूमि नही होकर प्रतिवादीगण के पिता के स्वअर्जित निजी स्वामित्व व आधिपत्य नियमानुसार विधिक वारिसान होने के कारण प्रतिवादीगण के खातेनामे चढी है तथा आज भी उपरोक्त सर्वे नम्बर की कृर्षि भूमि पर प्रतिवादीगण निरन्तर व निर्बाध रूप से कब्जा–काश्त होकर कमा रहे है । वाद चरण संख्या–1 व 2 बताई गई कृर्षि भूमि पर प्रतिवादीगण के पक्के मकानात बने हुए होकर उसमे आम, टिमरू , महुआ फलदार वृक्ष लगा रहे है तथा कुंए खुदवाकर अपने परिवार सहित स्थाई रूप से निवास कर रहे है । जिसके सम्बन्ध में सारा गांव जानता है ।
2. यह कि, वाद पत्र की चरण संख्या–3 में बताई गई वंशावली गलत होकर लालु पुत्र भगला की मृत्यु हो चुकी है ।
3. यह कि, वाद चत्र की चरण संख्या–4 अस्वीकार है , मुल पुरूष भगला पिता जोरजी की मृत्यु के पश्चात राजस्व कर्मचारियों द्वारा पूना, चतरा,लालू, वालू पिता भगला को विधिक प्रतिनिधि वारिसान मानकर नामान्तरकरण संख्या–03 दिनांकः– 19.09.1960 को विधिवत खोला गया है । तब से प्रतिवादीगण ग्राम बालासिन्दुर स्थित कृर्षि भूमि पर निरन्तर व निर्बाध रूप से कब्जा –काश्त होकर कमा रहे है तथा मुल पुरूष भगला पिता जोरजी की मृत्यु के पश्चात राजस्व कर्मचारियों द्वारा पूना,चतरा,लालू,वालू पिता भगला को विधिक प्रतिनिधि वारिसान मानकर नामान्तरकरण संख्या –22 विधिवत खोला गया है तब से प्रतिवादीगण ग्राम बिलडी स्थित कृर्षि भूमि पर निरन्तर व निर्बाध रूप से कब्जा–काश्त होकर कमा रहे है , वादी वालु ने ग्राम बालासिन्दुर स्थित अपने हिस्से की रकबा 3 बिघा कृर्षि भूमि को कान्तिलाल मास्टर को विक्रय

कर दी है इसके अतिरिक्त वादी संख्या 6 दिता पिता भगला के हिस्सें में वादग्रस्त सर्वे नम्बर की कृर्षि भूमि से अलग कृर्षि भूमि प्राप्त हुई है तथा नाथु पिता दिता ने ग्राम बिलडी में स्थित अपने हिस्से की कृर्षि भूमि रकबा 3 बिघा को जगमाल को पूर्व में विक्रय कर दी है अन्य तथ्य अस्वीकार है ।

4. यह कि, वाद पत्र की चरण संख्या–5 अस्वीकार है , वाद पत्र की चरण संख्या–1 व 2 में बताई गई कृर्षि भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम से विधिवत सन् 1960 के पूर्व से विधिवत कब्जा –काश्त होने के कारण प्रतिवादीगण के नाम राजस्व दस्तावेजों में अमल दरामद की है आज भी वादग्रस्त कृर्षि भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा –काश्त है ।
5. यह कि, वाद पत्र की चरण संख्या–6 अस्वीकार है ,प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के साथ किसी प्रकार का कोई लडाई झगडा कर विवाद नही किया जा रहा है । बल्कि वादीगण, प्रतिवादीगण की जमीन को जबरन खोस लेना चाहते है , इसलिये आये दिन जबरन खेत में प्रवेश होकर विवाद किया जा रहा है तथा उपरोक्त वाद आप न्यायालय में प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण को झूठा हैरान–परेशान किया जा रहा है तथा वादग्रस्त सर्वे नम्बर की कृर्षि भूमि प्रतिवादीगण के नीजी खाते व स्वामित्व में होने के कारण प्रतिवादीगण ने नियमानुसार प्रतिवादी संख्या –11 से लगाकर 14 बैक से रहन रखकर ऋण प्राप्त किया है ।
6. यह कि, वाद पत्र की चरण संख्या –7 अस्वीकार होकर वादीगण का वाद अन्दर म्याद नही है प्रतिवादीगण के पक्ष में नामान्तरकरण वर्ष 1960 में हुआ है तब से लेकर सभी राजस्व दस्तावेजो में प्रतिवादी गण का नाम कृषक खातेदार के रूप में दर्ज है वादीगण ने उपरोक्त वाद अन्दर म्याद लाने हेतू मनगढंत तथ्यों के आधार पर आप न्यायालय में प्रस्तुत किया है जिस कारण वादीगण का वाद म्याद बाहर होने के कारण आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी से बाधित होकर जो अपनी प्रारम्भिक अवस्था में ही खारिज करने योग्य है ।
7. यह कि, वाद पत्र की चरण संख्या – 8 अस्वीकार है , वादीगण को कोई वादा कारण पैदा नही हुआ है एवं नही तथाकथित दिनांक 7.03.2017 को ऐसी कोई घटना कारित हुई है । वादीगण ने मनगढन्त तथ्यों व दस्तावेजों के आधार पर उपरोक्त वाद–पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया है ,जिस कारण वादीगण का वाद बिना वाद कारण के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है ।

वाद पत्र एवं जवाब दावा के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई :–

1. आया ग्राम बिलडी में कृर्षि भूमि सर्वे नम्बर क्रमशः 90, 197,198,203,209,242,243,245,244 कुल खेंत 10 रकबा क्रमशः 5.10,0.08,6.11,0.02,0.03,0.02,4.06,1.16,0.08,3.04, कुल रकबा 22 बिघा 10 बिस्वा लगान 17.19 रूपया ग्राम बालासिन्दुर की कृर्षि भूमि सर्वे नं. 69,95,112,325/112 कुल खेंत 4 रकबा क्रमशः 2.17, 12.05 ,14.15,3.00 कुल रकबा 32 बिघा 17 बिस्वा वादीगण व प्रतिवादीगण के पैत्रक है ?

.....वादीगण .....

2. आया वादीगण व प्रतिवादीगण की वंशावली वादचरण सं. 03 में दर्ज अनुसार है ?

.....वादीगण

3. आया वादचरण सं. 3 में वर्णित वंशावली अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण स्व. भगला पुत्र जोरजी की गांव बिलडी व बालासिन्दुर दोनों गांवो की कृर्षि भूमि के वारसान होकर कुल 8 हिस्सेदार है ?. .....वादीगण
4. आया मूल खातेंदार भगला के मरने पर वारसाना नामान्तरकरण सं. 22 ग्राम बिलडी व नामान्तरकरण सं. 3 गांव बालासिन्दुर में दर्ज करते समय भगला के वारिस सभी 8 पुत्रों का नाम दर्ज नही करते हुए ग्राम बालासिन्दुर मे केवल पुना , चतरा, लालु व वालु के नाम व बिलडी में पुना ,दीता, चतरा, लालु, हालु, थावरा के नाम सें नामान्तरकरण दर्ज किया गया । उक्त सभी नामान्तरकरण वादीगण व प्रतिवादीगण के कानूनी हक व अधिकार व हिस्सें के मुकाबले आरंभ से ही गैरकानूनी व शून्य है ?
5. आया मूल पुरूष भगला पिता जोरजी की मृत्यु के पश्चात राजस्व कर्मचारियों द्वारा पूना, चतरा,लालू, वालु पिता भगला को विधिक प्रतिनिधि वारिस मानकर नामान्तरकरण सं. 3 व 22 विधिवत खोला गया है ? .....वादीगण
6. अनुतोष ?

वादीगण की ओर से साक्ष्य वादी में हालु पुत्र भगला भील निवासी बिलडी मंगला पुत्र बिजिया भील निवासी बिलडी कचरू पुत्र बिजिया भील निवासी बिलडी डूंगरीया पुत्र थावरा के शपथ–पत्र पेश किये गये । साक्ष्य प्रतिवादी में हलिया पिता पुना गरासियां निवासी बालासिन्दुर का शपथ पत्र पेश किया गया । वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम बिलडी की जमाबन्दी संवत 2012 से 15 ,नामान्तरण सं. 22, नामान्तरण सं. 67 नामान्तरण सं. 147,नामान्तरण सं.390,जमाबन्दी संवत 2025 से 28, जमाबन्दी संवत 2070 से 73 ग्राम बालासिन्दुर जमाबन्दी संवत 2017 से 20 , नामान्तरण सं.3 नामान्तरण स. 59 नामान्तरण सं.341 जमाबन्दी संवत 2032 से 35 जमाबन्दी संवत 2037 से 40 जमाबन्दी संवत 2069 से 72 । प्रतिवादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के में जमाबन्दी संवत 2061 से 73,नामान्तरण सं.59 दिनांक 03.07.77, नामान्तरण सं. 3 दिनांक 19.09.60, जमाबन्दी संवत 2025–28,जमाबन्दी संवत 2033.36 जमाबन्दी जमाबन्दी संवत 2045/48 जमाबन्दी संवत 2057/60, जमाबन्दी संवत 2028/32 जमाबन्दी संवत 2037/39, जमाबन्दी संवत 204/44 गांव बिलडी स्थित कृर्षि भुमि नामान्तरण सं.22 दिनांक 3/12/55 नामान्तरण सं. 67 दिनांक 06/06/71 नामान्तरण सं.147 दिनांक 02/10/77 जमाबन्दी संवत 2025/28 जमाबन्दी संवत 2030/33 जमाबन्दी संवत 2037/40 जमाबन्दी संवत 2054/57 पेश की गई ।

तनकीवार विश्लेषण निम्न प्रकार है 1. तनकी नं.1 को सिद्व करने का भार वादीगण पर है वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2012 से 15 के कालम नं. 5 एवं ग्राम बालासिन्दुर की इन्तकाल संख्या 3 के अनुसार विवादित आराजीयात भगला पुत्र जोरजी के नाम दर्ज थी । जिससे यह जाहिर होता है कि विवादित आराजी पैतृक आराजी है । प्रतिवादीगण ने अपने कथन की विवादित आराजी प्रतिवादीगण की स्वअर्जित आराजी है , के सर्मथन में कोई दस्तावेज पेश नही किये है । वादीगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्यों से भी यह पुष्टि होती है कि विवाहित आराजी पैतृक है । इस प्रकार यह तनकी वादीगण के पक्ष में सिद्व होती है ।

तनकी नं. 2 को सिद्व करने का भार भी वादीगण का है । वाद पत्र के बिन्दु सं. 3 में प्रस्तुत वंशावली के बाबत प्रतिवादीगण नें मात्र यह आपति की है कि लालू पुत्र भगला की मृत्यु हो चुकी है । वादीगण द्वारा प्रस्तुत वंशावली की पुष्टि उनके द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्यों से होती है । अतः यह तनकी भी वादीगण के पक्ष में सिद्व होती है ।

तनकी नं. 3 को साबित करने का भार भी वादीगण पर है । वादीगण द्वारा वादपत्र की बिन्दु सं. 3 में प्रस्तुत वंशावली के अनुसार स्व. भगला पुत्र जोरजी के कुल 8 वारीसान क्रमशः पुना , कालियां ,लालु,हालु,वालु ,थावरा, दिता, चतरा थे । प्रतिवादीगण ने भी इस बाबत कोई आपति पुष्टिकारक दस्तावेजो के साथ पेश नही की है ।वादीगण द्वारा प्रस्तुत बयानो में स्व. भगला के 8 पुत्र होने की पुष्टि होती है । अतः यह तनकी भी वादीगण के पक्ष में सिद्व होती है ।

तनकी नं. 4 को साबित करने का भार भी वादीगण पर है । नामान्तरण संख्या 22 ग्रम बिलडी एवं नामान्तरण संख्या 03 ग्राम बालासिन्दुर में मृतक भगला की विरासत दर्ज करते समय नामान्तरण सं. 22 में मात्र पूना,दिता,चतरा,लालू,हालू एव थावरा को ही वारिस माना गया है इसी प्रकार बालासिन्दुर की नामान्तरण सं. 3 में मात्र पूना ,चतरा ,लालू,एवं वालू को ही मृतक भगला का वारिस माना गया है । जिससे यह जाहिर होता है कि राजस्व अधिकारियों द्वारा नामान्तरण सं. 22 एवं 3 बिना विधिक वारिसान की जांच किये दर्ज किये गये है। जिस कारण वादीगण के हक प्रभावित हुए है । अतः नामान्तरण सं. 22 एवं 3 निरस्त योग्य है । उक्त तनकी भी वादीगण के पक्ष में सिद्व होती है ।

तनकी नं. 5 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है । प्रतिवादीगण नें मौखिक साक्ष्य में हलिया पुत्र पूना के बयान करायें गये है । जिसमें इसके अनुसार नामान्तरण सं. 22 एवं 3 राजस्व कर्मचारीगण द्वारा विधिक वारिसान की जांच कर विधिवत दर्ज कराना बताया गया है। लेकिन वादीगण द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण सं. 22 एवं 3 के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि नामान्तरण सं.22 में मृतक भगला के 6 पुत्र बताए गये है । एवं नामान्तरण सं. 3 में 4 पुत्र अंकित किये गये है । उक्त दोनो नामान्तरण परस्पर विरोधाभासी है । वादीगण द्वारा प्रस्तुत वंशावली एवं मौखिक साक्ष्यों से यह बखूबी जाहिर होता है कि मृतक भगला के 8 पुत्र होकर विवादित अराजियात के जायज वारिसान है । उक्तानुसार यह तनकी प्रतिवादीगण अपने पक्ष में सिद्व करने में विफल रहे है ।

आदेश

वाद वादी स्वीकार किया जाता है ग्राम बिलडी के खाता संख्या 21 में दर्ज भूमि खसरा नं. 90,197,198,193,203,207,209,242,243,244,245, कुल किता 10 रकबा 22.10 बिघा भूमि मृतक भगला के वारीसान उनके पुत्र हालु पुत्र भगला कालु,कान्ति ,मणियां पिता चतरा वेला पिता लालु व हातुडी बेवा लालु , जीतु मोहन पिता थावरा हलियां गलियां हुरतिंग पिता पुना नाथु पिता दिता वालु पुत्र भगला हकरू वजीयां ,बदियां , वेलजी , पुत्र कालियां को 1/8 व 1/8 हिस्सें का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । रहन हिस्सानुसार यथावत रहेंगे ।

इसी प्रकार ग्राम बालासिन्दुर के खाता संख्या 121 में दर्ज भूमि खसरा संख्या 69 ,95,112,325/112 कुल किता 4 रकबा 29.17 बिघा भूमि मृतक भगला के शेष रहे उतराधिकारी हकरू, वजियां,बदिया,वेलजी पिता कालियां, हालु पिता भगला, वालु पिता भगला , डूंगरिया , जीतु , मोहन पिता थावरा , नाथु पिता दिता व कालु , कान्ति , मडसियां पिता चतरा को1/8 व 1/8 हिस्सें का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । रहन हिस्सानुसार यथावत रहेंगे ।

तहसीलदार सज्जनगढ को आदेश दिये जाते है उपरोक्तानुसार दोनो गांवो के खातों का हिस्सें में रिकार्ड अनुसार व मोके पर अच्छी –बूरी का हर भूमि का समान विभाजन कर 15 दिन में प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय हाजा में पेश करें ।

उपरोक्तानुसार प्राथमिक डिक्री जारी हों ।

उपखण्ड अधिकारी
सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)